



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1852]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2014/भाद्र 25, 1936

No. 1852]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2014/BHADRA 25, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2014

का. आ. 2369(अ).—केन्द्रीय सरकार, कॉफी नियम, 1955 के नियम 3 और नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 44(अ), तारीख 6 जनवरी, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 2, 3 तथा 4 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

2. सुश्री शोभा कराडलाजे,  
संसद सदस्य,  
लोक सभा

-सदस्य

(वह तारीख दिनांक 6 जनवरी, 2017 तक  
अथवा लोक सभा की सदस्य रहने तक, इनमें  
से जो भी पहले हो, पद पदधारण करेंगी)।

3. श्रीमती कोथपल्ली गीता,  
संसद सदस्य,  
लोक सभा

-सदस्य

(वह तारीख दिनांक 6 जनवरी, 2017 तक  
अथवा लोक सभा की सदस्य रहने तक, इनमें  
से जो भी पहले हो, पद पदधारण करेंगी)।

4. श्री के.के. अर्जुनन,  
संसद सदस्य,  
लोक सभा

-सदस्य

(वह तारीख दिनांक 6 जनवरी, 2017 तक  
अथवा लोक सभा के सदस्य रहने तक, इनमें  
से जो भी पहले हो, पद पदधारण करेंगी)।

[फा. सं. 02/01/2012-बागान-ख]

आर.आर. रश्मि, अपर सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 6 जनवरी, 2014 की का.आ. सं. 44(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2014

**S.O. 2369(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Coffee Act, 1942 (VII of 1942) read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Coffee Board, and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number S.O. 44(E) dated the 6th January, 2014, namely:—

In the said notification, for serial numbers 2, 3 and 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely—

- |   |   |
|---|---|
| “2. Ms. Shobha Karandlaje,<br>Member of Parliament,<br>Lok Sabha. | -Member<br>(She shall hold office up to 6th January,<br>2017 or till she ceases to be a member<br>of Lok Sabha, whichever is earlier),  |
| 3. Smt. Kothapalli Geetha,<br>Member of Parliament,<br>Lok Sabha. | -Member<br>(She shall hold office up to 6th January,<br>2017 or till she ceases to be a member<br>of Lok Sabha, whichever is earlier).  |
| 4. Shri K.R. Arjunan,<br>Member of Parliament,<br>Rajya Sabha.    | -Member<br>(He shall hold office up to 6th January,<br>2017 or till he ceases to be a member of<br>Rajya Sabha, whichever is earlier).” |

[F. No. 02/01/2012-Plant -B]

R. R. RASHMI, Addl. Secy.

**Note.**— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 44(E), dated the 6th January, 2014.